उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 112 – काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 2017 – 68 – विनियम / 15 दिनांक 11 अगस्त, 2017

विषय :- **तकनीशियन ग्रेड–।। (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित वर्तमान अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं परीक्षा की प्रक्रिया में संशोधन।**

कार्यालय ज्ञाप

"आर्टिकिल ऑफ एसोसिऐशन" में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनॉक 02.08.2017 को सम्पन्न 130वीं बैठक में एजेण्डा आईटम–16 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में, तकनीशियन (ग्रेड–।।) (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रतिपादित विनियमावली में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में संशोधन हेतु जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 91–विनियम एवं काविनी / पाकालि / 17–68–विनियम / 15 दिनांक 03.07.2017 *(द्वितीय संशोधन)* में निर्धारित शैक्षिक अर्हता को एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

1. शैक्षिक अर्हता

वर्तमान अर्हता (स्तम्भ-अ)	संशोधित अर्हता स्तम्भ-अ के स्थान पर (स्तम्भ-ब)
(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में बिना ग्रेस मार्क के उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण–पत्र (SCVT/NCVT) का होना आवश्यक :– (i) इलेक्ट्रीशियन (ii) इलेक्ट्रिकल (iii) इलेक्ट्रिकल *(कौशल विकास के अन्तर्गत विद्युत वितरण)* (iv) वायरमैन के साथ इलेक्ट्रीशियन का ब्रिजकोर्स	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण–पत्र (SCVT/NCVT) का होना आवश्यक :– (i) इलेक्ट्रीशियन (ii) इलेक्ट्रिकल (iii) इलेक्ट्रिकल *(कौशल विकास के अन्तर्गत विद्युत वितरण)* (iv) वायरमैन के साथ इलेक्ट्रीशियन का ब्रिजकोर्स

2. उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू समझे जायेंगे एवं कार्यालय ज्ञाप सं0 91–विनियम एवं काविनी / पाकालि / 17–68–विनियम / 15 दिनांक 03.07.2017 *(द्वितीय संशोधन)* उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं तकनीशियन (ग्रेड–।।) (विद्युत) सम्बन्धी विनियमावली के शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

संख्या: 112 –(1) विनियम/काविनी–29/पाकालि/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय) / उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पा0का0लि0, एस0एल0डी0सी0 परिसर (निकट मंत्री आवास), विभूति खण्ड, फेज–2, गोमती नगर, लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव (सचि0प्रशा0) उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

11.08.17

(राजेश कुमार भटनागर)

अनु सचिव (विनियम)